प्रकरण संख्या 22/2018 नितिन व अन्य बनाम लादुलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष गुला जी कुमावत थे, जिनके पुत्र मोड़ीराम होकर उनकी पैत्रृक सम्पत्ति ग्राम माउ में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 254, 259, 261, 407, 408 एवं 412 किता 6 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा है। उक्त भूमियों का नामान्तरकरण संख्या 336 निर्णय दिनांक 28.09.2012 से विभाजन होकर विपक्षी संख्या 1 से 7 को जा आराजियात प्राप्त हुई है, उसमें आराजी नंबर 259 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नंबर 407 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नंबर 412/1 रकबा 5 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा अर्थात प्रार्थीगण एवं मांगीलाल उर्फ मांगू के वारिसान विपक्षीगण का 1/7 वे हिस्से में से प्रार्थीगण का 1/21 वां हिस्सा निहित है। साथ ही ग्राम माउ की आराजी नंबर 409 रकबा 2 बिस्वा में प्रार्थगण एवं मांगीलाल उर्फ मांगू के वारिसान का 5/16, डालू पिता मोड़ा, अम्बा पिता गुजा का 3/8 एवं लालू पिता भजा का 1/4 तथा डालू पिता मोडा का 1/16 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम सादडी की आराजी नंबर 445, 451 व 476 किता 3 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रार्थगण एवं मांगीलाल उर्फ मांगू के वारिस एवं विपक्षी संख्या 11 का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित है। 1/14 में से प्रार्थीगण का हिस्सा 1/42 निहित है। मोड़ा जी की मृत्यु पर नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पिता लादूलाल के साथ विपक्षी संख्या 8, 9 व 10 का भी समान हिस्से अनुसार समान खुलना चाहिए था, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार विपक्षी संख्या 8, 9, 10 भी सहदायक होकर समान हिस्से के भागीदार हैं। वाद पत्र की पैरा 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमियों में शंकर का नाम है, लेकिन शंकर की मृत्यु होने से उसके वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 5 को पक्षकार बनाया गया	

है। वाद पत्र के पैरा 2 के पारिवारिक सजरे अनुसार पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है और प्रार्थी के पिता लादुलाल विपक्षी संख्या 1 का अन्य विपक्षीगण जो कि मांगीलाल उर्फ मांगू के वारिसान हैं का 1/7, 1/7 हिस्सा है एवं प्रार्थीगण का हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के 1/7 हिस्से में से 1/21, 1/21 है, लेकिन विपक्षीगण विवाद पैदा कर खलन्दाजी करते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 14.06.2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 09.10.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16, 17 व 18 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23.08.2018 को हुई। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखे जाने की किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी, जिससे वह मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण

के वाद का मकसद ही समाप्त कर दिया गया, जबकि मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखनी आवश्यक है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2008 (आर.जे.) पेज 1115 प्रस्तुत की तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर पक्षकारान की अनुपस्थिति में मात्र यह लिखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि वादग्रस्त भूमि में कोई विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण 6 माह से भी अधिक पुराना है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 22/2018 नितिन व अन्य बनाम लादुलाल व अन्य

प्रकरण संख्या 22/2018 नितिन व अन्य बनाम लादुलाल व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:38:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: